

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 391/2022

गोकुलचन्द सोनी पुत्र श्री सोहनलाल सोनी, निवासी टमकोर, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)पिन
कोड 331026, मो0न0 9414835152


बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश


दिनांक 02.01.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.12.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 391/2022 पर दिनांक 13.12.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/6773-74 दिनांक 13.12.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक राजस्व/2023/01 दिनांक 02.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा आर0टी0आई0 आवेदन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय में आवेदन प्रेषित कर मलसीसर तहसील क्षेत्र के खरीफ फसल 2022 की क्रोप कटिंग की रिपोर्ट चाही गई थी। आवेदन में चाही गई क्रोप कटिंग की रिपोर्ट उपर्युक्त आवेदन प्राप्त होने से पूर्व ही इस कार्यालय द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, अलसीसर को भिजवाये जाने के कारण उक्त आर0टी0आई0 आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धरा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/940 दिनांक 01.12.2022 के द्वारा कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, अलसीसर को अन्तरित कर दिया गया था एवं उक्त अन्तरण की सूचना भी आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। अतः आर0टी0आई0 अपील में उपर्युक्तानुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज होने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया।


जिला कलक्टर झुंझुनूं

6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2023/01 दिनांक 02.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा आर0टी0आई0 आवेदन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके कार्यालय में आवेदन प्रेषित कर मलसीसर तहसील क्षेत्र के खरीफ फसल 2022 की क्रोप कटिंग की रिपोर्ट चाही गई थी। आवेदन में चाही गई क्रोप कटिंग की रिपोर्ट उपर्युक्त आवेदन प्राप्त होने से पूर्व ही उनके कार्यालय द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, अलसीसर को भिजवाये जाने के कारण उक्त आर0टी0आई0 आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धरा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/940 दिनांक 01.12.2022 के द्वारा कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, अलसीसर को अन्तरित कर दिया गया था एवं उक्त अन्तरण की सूचना भी आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। चूंकि भिजवाई गई रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में भी सुरक्षित रखी जाती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0 कुडी)
जिला कलेक्टर, झुंझुनू